न्यायालय तहसीलदार (भू–अ.), श्री करणपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री सुरेन्द्र पाल, तहसीलदार, श्री करणपुर

प्रकरण संख्या – 54/2018 व 04/2023

अनवान – मनप्रीत कौर पुत्री गुरतेज सिंह बनाम हरखासआम।

किस्म मुकदमा – रिमाण्ड प्रकरण के अनुसार नामान्तरण किये जाने बाबत।

वसीयतकर्त्ता का नाम – सतविन्द्रकौर पत्नी मुन्शासिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।

–: निर्णय :–

दिनांक – 16.03.2023

आज पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का अध्ययन किया गया। जिसका संक्षिप्त सार निम्न प्रकार है –

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्री गंगानगर के आदेशांक रीडर/18/2015 दिनांक 06.11.2018 द्वारा अपील प्रकरण सं. 03/2018 मनप्रीतकौर बनाम स्टेट में अपने निर्णय दिनांक 05.11.2018 पारित कर चक 6 एफए का इन्तकाल संख्या 652 निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देशित किया है कि प्रकरण में पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये एवं मौके पर कब्जा काश्त आदि की जांच करते हुये विधिसम्मत आदेश पारित किया जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस जारी किये गये।

प्रकरण में न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य मजिस्ट्रेट, श्री करणपुर का स्थगन प्राप्त हुआ जिसमें कि दिनांक 31.10.2022 को राजीनामा होने पर प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहने पर प्रकरण खारिज कर दिया गया।

इसी प्रकार न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्री गंगानगर के निर्णय दिनांक 05.11.2018 के विरुद्ध एक अपील 82/2018 हजूरसिंह बनाम मनप्रीत कौर आदि न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर में पेश हुई। जिसमें दिनांक 20.12.2022 को प्रकरण में राजीनामा होने पर प्रकरण खारिज कर दिया गया।

प्रार्थीया मनप्रीतकौर पुत्री गुरतेजसिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला, तहसील श्री करणपुर ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थीया सतविन्द्र कौर पत्नी मुन्शा सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला की वसीयत के अनुसार इन्तकाल दर्ज करवाना चाहती है। उक्त वसीयत के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में राजीनामा हो गया है। अतः वसीयत के अनुसार इन्तकाल दर्ज करवाना चाहती हैं। प्रार्थी द्वारा नोटेरी से प्रमाणित वसीयत व मृत्यु प्रमाणपत्र जिसके अनुसार मृत्यु दिनांक 10.09.2012 को हुई है, पेश किया है।

संलग्न वसीयत का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार वसीयतकर्त्ता सतविन्द्र कौर पत्नी मुन्शा सिंह जाति जटसिख निवासी रडेवाला ने चक 6 एफए के खा.सं. 59 के मु.नं. 38/4.768 हैक्ट. भूमि में से 1.126 हैक्ट. भूमि की वसीयत मनप्रीतकौर पुत्री गुरतेजसिंह के हक में करने की इच्छा जाहिर की है। वसीयत दिनांक 27.02.2012 को लिखवाई गई है, जो नोटेरी से प्रमाणित है।

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण संख्या – 54 / 2016 व 04 / 2023
उनवान – रिमाण्ड प्रकरण सतविन्दरकौर पुत्री [illegible]
बनाम सरकार।

पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी चक 6 एफए की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खा.सं. 73/64 में मु.नं. 38/4.768 हैक्ट. भूमि में से 1.126 हैक्ट. भूमि संयुक्त खाते में 563/2384 हिस्सा भूमि (1.126 हैक्ट.) सतविन्द्र कौर पत्नी मुन्शा सिंह जाति जटसिख के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि स्व अर्जित है, खातेदारी है तथा कोई विवाद/स्थगन आदेश नहीं है, सिलींग सीमा से प्रभावित नहीं है, सार्वजनिक कार्य हेतु अवाप्त नहीं है, कब्जा वसीयत अनुसार है। रकबा रहन, बैय नहीं है।

इस न्यायालय के पत्रांक त.अ./भूअ/22/163 दिनांक 19.01.23 द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति/ऐतराज बाबत किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञप्ति/सार्वजनिक सूचना जारी की गई। जो दैनिक समाचार पत्र दैनिक राष्ट्रीय छवि के दिनांक 21.01.2023 के अंक में प्रकाशित हुई। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के बाद आज दिनांक तक इस वसीयत के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/ऐतराज प्राप्त नहीं हुआ है।

वसीयत में दर्ज गवाह गुरादित्ता सिंह पुत्र जंगीरसिंह व रामसिंह पुत्र मघरसिंह जाति जटसिख निवासीगण रडेवाला ने उपस्थित आकर शपथपत्र पेश किये कि वसीयतकर्त्ता द्वारा उनके समक्ष वसीयत लिखवाई गई थी जो सही है एवं वसीयत अपनी स्वेच्छा व रजामन्दी से करवाई बताया गया। हमारे द्वारा वसीयत पर गवाह की हैसियत से हस्ताक्षर किये गये थे।

रिमाण्ड प्रकरण में ऐतराज जताने वाले हजूरसिंह पुत्र लालसिंह व जगतारसिंह पुत्र हरनेकसिंह व गगनदीपकौर पुत्री हरनेकसिंह ने उपस्थित आकर शपथ पत्र पेश किया है कि हमें सतविन्द्रकौर पत्नी मुन्शासिंह द्वारा दिनांक 27.02.2012 को की गई तथा दिनांक 29.02.2012 को नोटेरी से प्रमाणित वसीयत जो कि चक 6 एफए के मु.नं. 38 की 4.768 हैक्ट. भूमि में से 1.126 हैक्ट. भूमि की है के सम्बन्ध में हमें कोई ऐतराज नहीं है व विभिन्न न्यायालयों में हमारा समझौता हो गया है व अब किसी भी न्यायालय में हमारा कोई प्रकरण जैरकार नहीं है। अतः यदि वसीयत के अनुसार इन्तकाल दर्ज कर दिया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा वसीयत के आधार पर इन्तकाल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार कोई विवाद स्थगन नहीं है व भूमि वसीयतकर्त्ता के नाम ही है। वसीयत के गवाहान ने उपस्थित आकर बयान/शपथ पत्र पेश किया कि वसीयत उनके समक्ष हुई व वसीयत सत्य है एवं दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरान्त आज तक कोई आपत्ति/ऐतराज प्राप्त नहीं हुआ। इससे वसीयत की सत्यता प्रमाणित होती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा संबंधित पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वसीयतकर्त्ता के नाम जमाबन्दी में दर्ज भूमि का यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो एवं रहन हो तो रहन मुक्त होने पर वसीयत के अनुसार प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। आदेश इस आश्य का जारी हो। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जाए। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.03.23 को सुनाया गया।

तहसीलदार (भू–अ.),
श्री करनपुर

कार्यालय तहसीलदार (भू०अ०) श्रीकरनपुर

क्रमांक/भू.अ./811 दि० 16.03.2023

प० म० 6FA को भेजकर लेख है कि निर्णय दि० 16.03.2023 की प्रति भेजकर नियमानुसार कार्यवाही करावें।

तहसीलदार (भू.अ.)
श्रीकरनपुर

Scanned with OKEN Scanner